

60 दिन में जमीन पर उतरेगा निवेश

हर उद्यमी मित्र को 10 परियोजनाओं की जिम्मेदारी, समयसीमा में पूरी होंगी औपचारिकताएं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी मित्रों को सख्त समयसीमा में बांध दिया है। अब प्रत्येक उद्यमी मित्र को 10 निवेश प्रस्ताव सौंपे जाएंगे और इन परियोजनाओं को 60 दिनों के भीतर एंड-टू-एंड सुविधा देकर जमीन पर उतारने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

निवेशकों का भरोसा मजबूत करने और परियोजनाओं में देरी की शिकायतों पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने सक्रिय सुविधा तंत्र लागू किया है। इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से शुरू की गई इस व्यवस्था में मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र को एकल-बिंदु सुविधा प्रदाता बनाया गया है, जिनकी भूमिका अब केवल समन्वय तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तय समयसीमा में परिणाम देना उनकी जिम्मेदारी होगी। नई व्यवस्था के

देनी होगी मासिक प्रगति रिपोर्ट

जवाबदेही तय करने के लिए प्रत्येक निवेश प्रस्ताव की मासिक प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। उद्यमी मित्रों के कार्यों की समीक्षा हर 15 दिन में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जबकि इन्वेस्ट यूपी के सीईओ स्तर पर सघन निगरानी होगी। देरी या लापरवाही पर तत्काल रिपोर्टिंग का प्रावधान भी रखा गया है। प्रदेश के सभी जिलों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में उद्यमी मित्रों की तैनाती कर दी गई है। इस संबंध में मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और औद्योगिक प्राधिकरणों के सीईओ को समन्वित कार्रवाई के निर्देश भेजे गए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के बाद मिले निवेश प्रस्तावों को तेजी से अमलीजामा पहनाने के लिए लागू किया गया था। मई 2023 में 105 उद्यमी मित्रों का चयन किया गया था।

तहत उद्यमी मित्रों को निवेश परियोजनाओं के लिए 60 दिनों तक पूर्ण फ्रंट-एंडिंग सपोर्ट उपलब्ध कराना होगा। इसके तहत भूमि आवंटन, बिजली, पर्यावरणीय स्वीकृति, भवन मानचित्र, शहरी स्थानीय निकायों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से जुड़ी अनुमतियों की प्रक्रिया को तेजी से

पूरा किया जाएगा, ताकि निवेशकों को विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि उद्यमी मित्र सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर दस्तावेजीकरण, अनुपालन और स्वीकृतियों की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी कराएंगे। अड़चन का समाधान नियमों के दायरे में रहते हुए किया जाएगा। ब्यूरो